

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2019-20

Letter of Approval (LoA)

F.No. Northern /2019-20/1-4583120531

Date: 30-Apr-2019

To,
The Chairman
SHRI RAJ ROOP MEMORIAL EVAM EDUCATIONAL TRUST
633/14 SUN CITY, PANCHWATI KAMTA LUCKNOW,
KAMTA,LUCKNOW
Uttar Pradesh,227105

Sub: Letter of Approval for New Institution 2019-20

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations, 2018 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2018 dated 31/12/2018 and other notifications, as applicable and published from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	Application Id
	1-4583120531
Name of the Institution	J K INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE
Name of the Society/Trust	SHRI RAJ ROOP MEMORIAL EVAM EDUCATIONAL TRUST
Institution Address	HARPUR BELHI, TAMKUHI RAJ, KUSHI NAGAR (UTTAR PRADESH), HARPUR BELHI, KUSHINAGAR, Uttar Pradesh, 274407
Society/Trust Address	633/14 SUN CITY, PANCHWATI KAMTA LUCKNOW, KAMTA,LUCKNOW Uttar Pradesh,227105
Institution Type	Unaided - Private
Region	Northern

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2019-20*

Sr. No.	Program	Shift	Level	Course	FT/PT*	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2019-20
1	PHARMACY	1st	DIPLOMA	PHARMACY	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60

*FT -Full Time,PT-Part Time

*Note: The approval is valid for two years from the date of issue of this letter only for getting affiliation with respective University/ Board of Technical Education (BTE)/ Board of Technical Education & Training (BTET) (as applicable) and fulfilling State Govt. requirements for admission. If institution is unable to start in the academic session 2019-20 due to reason mentioned above, the institution will have to apply On-line on AICTE web portal in next academic session for continuation of approval.

The Society/Trust/Institution shall obtain necessary affiliation / permission from the concerned affiliating University/ Board of Technical Education (BTE)/ Board of Technical Education & Training (BTET)(as applicable) as per the prescribed schedule of the University/ Board of Technical Education (BTE)/ Board of Technical Education & Training (BTET)(as applicable) Admission authority etc. The Applicant Society/Trust/Institution shall send information about commencement of the above courses to AICTE. In case the Institution is not in a position to commence the above mentioned courses for whatever reason during the two years period from the date of issue of this letter, the approval becomes invalid and the applicant Society/Trust/Institution shall make fresh application to AICTE for grant of approval as per the norms prevailing at that time.

All Institution shall fulfill the following general conditions:

1. The management shall provide adequate funds for development of land and for providing related infrastructural, instructional and other facilities as per norms and standards laid down by the Council from time to time and for meeting recurring expenditure.
2. The Eligibility Criteria for admissions shall be made in accordance with the regulations notified by the Council from time to time.
3. The tuition and other fees shall be charged as prescribed by the Competent Authority within the overall criteria prescribed by the Council as per the notified regulations shall be initiated against the Institution.
4. The Curriculum of the course, the procedure for evaluation / assessment of students shall be in accordance with the Model Curriculum and Examination Reforms prescribed by the AICTE from time to time.
5. The management of the Institution shall not discontinue any course(s) or start any new course(s) or alter intake capacity of seats without

Application No:1-4583120531

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.
Printed By: aic12344

Page 1 of 3

Letter Printed On: 13 May 2019

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आदेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आदृत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4123	जे०के० इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हरपुर बेल्टी, तम्कोही राज, कुशीनगर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

CMS

कार्यालय
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखनन: दिनांक 08/08/2021

कार्यालय भाग:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 02/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता सविधि की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सविधि द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश अथवा पुष्टि सविधि अन्य सत्रों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता सविधि की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4123-J K INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, HARPUR BELHI, TAMKUIH RAJ, KUSHNAGAR-274407

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद बृहत् 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शूल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूल्क तीन वार्षिक इन्वी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेशी पाठ्यक्रम हेतु ₹०. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मेशी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शूल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनपत्रों से प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनता दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा समिति) तथा उ० प्र० सविधि, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनपत्रों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए० आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से जागगी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनये गये विनियमों/अधिनियमों/कारणदेशों/निर्देशों एवं निर्देशिका, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनये गये विनियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विदेशात्मक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी दावा/कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा दापर आद के संबंध में या, अनुपालन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेशी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राय किया जाने वाले शूल्क, छात्रावास शूल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साठारण उपलब्ध करने के साथ रेगिग लेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ते कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति नहीं जाएगी।
- ✓ संस्था के अतीव निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 08/08/2021

पु०सं०- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिनिधि-
प्रधानकार्यानिदेशक, J K INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, HARPUR BELHI, TAMKUIH RAJ, KUSHNAGAR-274407


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव